परिपत्र संख्या/ / विशेष अनुज्ञा याचिका/ 2021-2022/ 20 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांक 08. अप्रैल 2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड -2
जोन/ उच्च न्या0(कार्य)/(विशेष अनुसंधान शाखा)
समस्त ज्वा0कमि0(कार्य0/वि0अनु0शा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

सर्वोच्च न्यायालय कार्य एवं उच्च न्यायालय कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान संज्ञान में लाया गया कि विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिपत्र संख्या न्याय-5 (1) एस0 एल0 पी0 निर्णय/2019-2020 / 841/ दिनांक 4-10-2019 के अनुपालन में उच्च न्यायालय कार्य द्वारा सीधे राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति वाद अनुभाग मुख्यालय को पृष्ठांकित की जा रही है। उक्त निर्धारित प्रकिया को अपनाये जाने से विशेष अनुज्ञा याचिका के मामलों का प्रभावी अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर नही हो पा रहा है। अतः उच्च न्यायालय कार्य मैनुअल,2015 के अध्याय -8 के आधार पर जारी परिपत्र दि0 4-10-2019 तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने की निम्न प्रकिया निर्धारित की जा रही है :-

1. फील्ड स्तर पर किसी मामले विशेष में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने के मामलो में शासनादेश संख्या -38- 2017/ यू-ओ0-23/सात-न्याय -1-2017-70-जी0/2017दिनांक 31-05-2017 से राज्य मुकदमा नीति के निर्धारित मापदंडों के अनुरुप होने पर वाद से सम्बन्धित आफीसर द्वारा जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से अनुमोदित प्रस्ताव के साथ व्यक्तिगत रुप से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर को प्राप्त कराया जायेगा।

2 ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्च न्यायालय कार्य द्वारा प्रकरण से स्थायी अधिवक्ता को अवगत कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर उनका परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा एवं परामर्श प्राप्त होते ही प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित विशेष पत्रवाहक के माध्यम से वाद अनुभाग,मुख्यालय को प्राप्त कराया जायेगा।

3 उच्च न्यायालय कार्य से विशेष अनुज्ञा याचिका का प्रस्ताव प्राप्त होने के अगले कार्यदिवस तक वाद अनुभाग,मुख्यालय द्वारा शासन को प्रेषित कराया जायेगा।

4 मा0.उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के विरुद्व मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने वाले अन्य मामलेां में सम्बन्धित बेंच के लिये तैनात स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श अथवा शासन के निर्देश पर विशेष अनुज्ञा याचिका के प्रस्तावित मामलों को उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज / लखनऊ द्वारा विशेष पत्रवाहक के माध्यम से वाद अनुभाग मुख्यालय को प्राप्त कराया जायेगा एवं अगले कार्य दिवस तक वाद अनुभाग द्वारा शासन को प्रेषित कराया जायेगा।

5 विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होने एवं तत्क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय कार्य के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किये जाने का साप्ताहिक अनुश्रवण वाद-अनुभाग, मुख्यालय द्वारा नियमित रुप से किया जायेगा ।

उक्त निर्देशो का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

8/4/2021
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. ज्वां0कमि0 (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को बेबसाइट पर यथास्थान अपलोड कराने हेतु ।

8.4.2021
(सुनील कुमार राय)
एडीशनलकमिश्नर(विधि)वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश